Regd. No. CHD/0093/2009–2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 13, 2010
(PHALGUNA 22, 1931 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th March, 2010

No. 11-HLA of 2010/21.—The Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 11—HLA of 2010

LALA LAJPAT RAI UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES HISAR BILL, 2010

A

BILL

to establish and incorporate a University in the State for the purposes of affiliating, teaching and ensuring proper and systematic instruction, training, research and extension in modern systems of Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Act, 2010.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, Statutes and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires,—

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "affiliated college" means a college or an institution admitted to the privileges of the University under this Act;

(c) "animal" means the live-stock, domesticated animals, wild animals, living animals and shall include fish, birds and reptiles;

(d) "animal sciences" means science of breeding, live-stock production and management, nutrition of animals, live-stock products, allied sciences and feed technology;

(e) "Board" means the Board constituted under section 10;

(f) "College" means the College of Veterinary Sciences at Hisar or any other College, as may be established and maintained in the campus by the University;

(g) "employee" means any person appointed by the University including teachers and other staff;

(h) "existing university" means Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar;

(i) "extension education" means the educational activities concerned with the training of veterinarians, para-veterinary staff, live-stock farmers, home makers and other groups concerned with animal health, welfare, improved animal husbandry practices and various phases of scientific technology related to animal production and marketing and includes demonstration to carry the new technology and innovation of live-stock farms and farm homes through the Department of Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries or any other designated department/ agency;

(j) "fishery sciences" means the art and science of understanding the biology, commercial exploitation and conservation of aquatic life as well as its surroundings, including the constituents of the surroundings;

(k) "hostel" means a unit of residence for students;

(l) "institution" means any hospital, center or other institution providing training for degree, diploma, certificate or other academic distinction;

(m) "prescribed" means prescribed by the Statutes and Regulations made under this Act;

(n) "recognized teacher" means a person who is recognized by the University for the purpose of imparting instructions in an affiliated college or an institution;

(o) "Statutes" and "Regulations" mean respectively the Statutes and Regulations of the University made under this Act;

(p) "State" means the State of Haryana;

(q) "State Government" means the Government of the State of Haryana;

(r) "student" means a person enrolled in University or one of its affiliated college or institution for taking a course of study for a degree, diploma, certificate or an academic distinction;

(s) "teacher" includes Director, Dean, Principal, Senior Professor, Professor, Associate Professor/Reader, Assistant Professor/Lecturer and such other persons imparting instructions on full time basis in the University;

(t) "University" means Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar, established under section 3;

(u) "Veterinary" means the art and science of Veterinary Surgery and Medicine and includes,—

(i) the diagnosis of diseases in, and injuries to animals;

(ii) the giving of advice based upon such diagnosis;

(iii) the medical or surgical treatment of animals;

(iv) the measures taken for prevention and control of live-stock diseases; and

(v) zoonoses and epidemiology.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY

3. (1) There shall be established a University by the name of Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar having jurisdiction all over the State. Establishment of University.

(2) The University shall be a body corporate by the name as specified in sub-section (1) and shall have perpetual succession and common seal. It shall have the power to acquire, hold and dispose of the property both movable and immovable and shall sue and be sued by the said name.

(3) The headquarters of the University shall be at Hisar or at such place, as may be notified by the State Government in the Official Gazette, from time to time.

(4) The University shall not except without obtaining the prior approval of the State Government lease, sell or otherwise transfer any immovable property, which may have vested in, or acquired by it.

Bar on conferring, granting or issuing degree, diploma, certificate or an academic distinction.

4. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other State law for the time being in force, no person or institution, other than the University or affiliated college, shall confer, grant or issue or hold himself or itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma, certificate or an academic distinction in the specialized area of knowledge assigned to it within the territorial jurisdiction of the University which is identical with or is a colorable imitation of any degree, diploma, certificate or an academic distinction conferred, granted or issued by the University.

(2) The contravention of the provisions of sub-section (1) shall be an offence punishable with imprisonment upto three years or with fine upto five thousand rupees or with both and shall also be dealt with, in the manner, as may be prescribed.

(3) Where an offence under this section has been committed by an institution, every person incharge of, or responsible for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be liable to be proceeded against in accordance with sub-section (2).

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this section has been committed by a company, firm or an association of persons and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any partner, director, manager, secretary or other officer of the company, firm or an association of persons, such partner, director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against in the manner, as may be prescribed.

Teaching in University.

5. All teaching in the University shall be conducted by and in the name of the University in accordance with the Statutes and Regulations made in this behalf.

Objects of University.

6. The University shall have the following objects, namely:—

(a) to impart education in different branches of Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences as it may determine, from time to time;

(b) to further advancement in learning and research in Veterinary, animal sciences, fishery sciences and other allied sciences and to undertake extension of such specialized knowledge to the needy people;

(c) to undertake study in marketing strategies of live-stock and live-stock products, conservation of live-stock breeds and wild animals;

(d) to liaison and establish vital linkage with the concerned departments of Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development of the State Government and Union Government, National and International Research Institutes specialized in the field of Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences with a view to keep abreast of the latest technology;

(e) to raise level of Veterinary study to international standards; and

(f) such other objects, as the Board may determine, from time to time.

7. The University shall perform the following functions, namely:— Powers and functions of University.

(a) to provide facilities for instruction, training and research in Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences and to achieve excellence therein and connected fields;

(b) to provide for dissemination of the findings of research and technical information through extension education;

(c) to institute degree, diploma, certificate and other academic distinction in Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences;

(d) to hold examination and to confer degree, diploma, certificate and other academic distinction on person, who has –

(i) pursued a particular course of study; or

(ii) carried out research in the University in the manner, as may be prescribed;

(e) to confer honorary degree or other academic distinction in the manner, as may be prescribed;

(f) to arrange lectures and instructions for field workers, live-stock farmers and other persons, not enrolled as regular students of the University and to grant certificates to them, if necessary;

(g) to co-operate with other universities, Institutions, organizations and authorities in such manner and for such purposes, as may be determined;

(h) to establish and maintain College and an institution relating to Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences;

(i) to affiliate any college or an institution to the University and to withdraw affiliation therefrom;

(j) to establish and maintain laboratories, libraries, research stations, processing plants and museums for teaching, research and extension education;

(k) to institute, suspend or abolish Professorship, Associate Professorship, Assistant Professorship, Teachership and other teaching research and extension posts in the University and to make suitable appointments thereto ;

(l) to create, suspend or abolish administrative and other posts and to appoint persons to such posts;

(m) to institute, abolish or suspend fellowships, scholarships, studentships, bursaries, exhibitions, medals and prizes in accordance with the Statutes and Regulations and to undertake publication of work of merit and research pertaining to research in Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences;

(n) to establish and maintain hostels for students of the University;

(o) to establish and maintain residential accommodation for the employees of the University;

(p) to determine, demand and receive such fees and other charges, as may be prescribed;

(q) to supervise, control and regulate the conduct and discipline of the students of the University and affiliated colleges;

(r) to manage and control the movable and immovable properties of the University;

(s) to receive gifts, donations or benefactions in cash or kind from the Government or a person and to create corpus fund for the welfare of the University:

Provided that no donation from a foreign country, foreign foundation or any individual in such country or foundation shall be accepted by the University, save with the approval of the State Government or other competent authority;

(t) to accept grant from any institution or any other authority recognized by Government of India and the State Government;

(u) to borrow money with or without security for the purposes approved by the State Government, from the Central Government, any other State Government, Indian Council of Agricultural Research or any other incorporated body, subject to the provisions of this Act;

(v) to maintain an employment bureau; and

(w) to do all such other acts and things, whether incidental to the functions aforesaid or not, as may be required in order to further the objects of the University.

Affiliation.

8. (1) On the commencement of this Act, all colleges and other educational institutions of Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences in the State admitted to the privileges of or affiliated to the existing university, shall be deemed to be admitted to the privileges of, or affiliated to the University.

(2) The colleges and institutions related to various disciplines of Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences located within the State and to be established after the commencement of this Act, on satisfying such conditions, as laid down by the Statutes and Regulations for the purposes of affiliation, shall be affiliated to the University.

CHAPTER-III

MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY

Authorities of University.

9. The following shall be the authorities of the University, namely:—

(i) Board;

(ii) Academic Council;

(iii) Board of Studies; and

(iv) such other authority, as may be declared by the Statutes to be an authority of the University.

Board.

10. (1) The State Government shall, as soon as possible, after the commencement of this Act, constitute a Board for the management of the University.

(2) The Board of the University shall consist of the following official and non-official members,—

Official members

(a) the Vice-chancellor ;

(b) the Chief Secretary to the State Government;

(c) the Secretaries to the State Government in the Department of-

(i) Animal Husbandry and Dairying; and

(ii) Finance;

(d) Registrar;

(e) the Deputy Director General (Animal Sciences) as a representative of the Indian Council of Agricultural Research;

Non-official members

(a) persons not being officials, appointed by the State Government from amongst the following categories of persons, namely:—

(i) a person who in the opinion of the State Government is an eminent Scientist in Veterinary, animal sciences, fishery sciences or allied sciences, with the background of research or extension education or development or administration;

(ii) two persons who in the opinion of the State Government are progressive farmers or live-stock breeders, having experience of, and interest in, scientific farming of live-stock, poultry or fishery and its improvement ;

(iii) one person who in the opinion of the State Government is a distinguished industrialist and businessman associated with veterinary and animal husbandry development.

(iv) a Non-Resident Indian, having ancestral background in Haryana, who in the opinion of the State Government, is an eminent veterinarian; and

(v) a woman who in the opinion of the State Government, is an outstanding social worker, with a background of rural advancement and animal husbandry.

(3) The Chancellor shall be the Honorary Chairman of the Board, the Vice-chancellor shall be the working Chairman and the Registrar shall be the Member Secretary of the Board.

(4) The term of office of the non-official members of the Board shall be two years.

(5) A non-official member of the Board may resign from his office by giving a notice in writing, addressed to the Chairman.

(6) The non-official members of the Board shall not be entitled to receive any remuneration for the performance of their functions under this Act, except daily and travelling allowances, as may be prescribed.

Technical advisers to Board.

11. The Board may associate in its meetings all or any of the following persons as Technical Advisers, but the person so associated shall not be entitled to vote at any such meeting,—

(a) Director General, Animal Husbandry and Dairying Department;

(b) Director, Fisheries Department;

(c) two officers invited by the Board from amongst the Deans or Directors of the University; and

(d) any other expert to be invited by the Board specialized in Veterinary sciences, animal sciences, fishery sciences, allied sciences or in any other field.

Meeting of Board.

12. (1) The Board shall meet at such time and place as it may deem necessary:

Provided that regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months.

(2) Four members of the Board shall form a quorum for the meeting of the Board:

Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary in the next meeting for the transaction of the same business.

Powers and duties of Board.

13. The Board shall have the following powers and duties, namely:—

(a) to appoint the Vice-chancellor;

(b) to approve the budget submitted by the Vice-chancellor ;

(c) to hold and control the property and funds of the University and issue any general directive on behalf of the University;

(d) to accept or transfer any property on behalf of the University;

(e) to administer the funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(f) to invest money belonging to the University;

(g) to appoint the officers, teachers and other employees of the University in the manner, as may be prescribed;

(h) to specify the form of common seal of the University;

(i) to appoint such committees, as it may deem necessary for its proper functioning ;

(j) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;

(k) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, Statutes and Regulations and to exercise such powers and to discharge such duties, as may be conferred on or imposed upon the Board by the Act, Statutes and Regulations.

Constitution of Academic Council.

14. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

(a) the Vice-chancellor;

(b) the Registrar;

(c) the Dean of Post-Graduate Studies;

(d) the Dean of the College;

(e) the Director of Extension Education;

(f) the Director of Research; and

(g) five senior-most Head of the Departments of the University to be nominated by their respective Deans.

(2) The term of office of the members, specified in clause (g) of sub-section (1), shall be two years.

Powers of Academic Council.

15. (1) The Academic Council shall be the incharge of the academic affairs of the University and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Regulations, superintend, direct and control and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education, examination and other matters connected with the obtaining of degree, diploma, certificate and academic distinction and shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Academic Council shall have the following powers,—

(a) to advise the Vice-chancellor on all academic matters including the control and management of the library;

(b) to co-opt at its meetings such Heads of the Departments, as it may consider necessary;

(c) to make recommendations to the Vice-chancellor for the institution of the Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and Teacherships and other teaching posts and with regard to the duties and emoluments thereof;

(d) to formulate, modify or revise schemes for the constitution or reconstitution of Departments of teaching, research and extension ;

(e) to make regulations regarding the admission of students to the University;

(f) to make regulations regarding the examinations to be conducted by the University and the conditions on which students shall be admitted to such examinations;

(g) to make regulations relating to the courses of study leading to degree, diploma, certificate and academic distinction;

(h) to make recommendations regarding post-graduate teaching, research and extension;

(i) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for appointment of teachers in the University and recognized teachers in the affiliated colleges; and

(j) to exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed.

Vacancy in an authority of University.

16. (1) All casual vacancies of non-official members in any authority of the University shall be filled up, as soon as possible, from amongst the same category of persons, whose place becomes vacant and the person so appointed or nominated to such casual vacancy shall be a member of such authority for the remaining period of the term, for which the person, whose place he fills, would have continued as such.

(2) A person, who is member of any authority of the University as representative of another body, whether of the University or not, shall retain his seat in that authority so long as, he continues to be a member of the body, by which he was appointed or nominated, and thereafter, till his successor is duly appointed or elected.

(3) No act or proceeding of any authority of the University shall be invalid by reason merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of such authority.

(4) If any question arises whether any person has been duly appointed as, or is entitled to be, a member of any authority of the University or whether any decision of the University is in accordance with this Act, Statutes or Regulations, as the case may be, the same shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

Officers of University.

17. The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) Chancellor;

(ii) Vice-chancellor;

(iii) Registrar;

(iv) Comptroller;

(v) Dean of Post-graduate Studies;

(vi) Dean of the College;

(vii) Director of Research;

(viii) Director of Extension Education;

(ix) Director of Students' Welfare-cum-Estate Officer;

(x) such other person in the service of the University, as may be so declared by the Statutes or Regulations.

Chancellor.

18. (1) The Governor of the State of Haryana by virtue of his office, shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and if present, shall preside over the convocation of the University for conferring degrees.

(3) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred upon him under this Act, Statutes and Regulations.

Inspections.

19. (1) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person, as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, equipments and any institution maintained by the University, and may cause an inquiry in respect of any matter connected with the administration and the finances of the University.

(2) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such notice, the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present, and be heard, at such inspection or inquiry.

(3) The Chancellor may address the Board with reference to the result of such inspection or inquiry, as the case may be, with such advice, as he may deem appropriate.

(4) The Board shall intimate to the Chancellor about the action, it proposes to take on the advice communicated to it, under sub-section (3).

(5) If the Board does not take action within a reasonable time, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions, as he may deem fit, and the Board shall comply with such directions.

Vice-chancellor.

20. (1) The Vice-chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Board from amongst the distinguished veterinarians in the manner, as may be prescribed:

Provided that where the members of the Board are not unanimous with regard to the selection of the person, proposed to be appointed as the Vice-chancellor, the appointment shall be made by the Chancellor on the advice of the Government from amongst the distinguished veterinarians:

Provided further that the Secretary, Animal Husbandry and Dairying Department, Haryana, shall be the first Vice-chancellor of the University.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in the event of the Vice-chancellor, being not in a position to discharge his functions on account of illness, absence or leave or any other contingency, the Chancellor may appoint any distinguished veterinarian on the recommendation of the Board to act as Vice-Chancellor for the disposal of the business during the said event.

(3) The term of office of the Vice-chancellor shall be four years and he shall be eligible for re-appointment subject to the maximum age of 65 years.

(4) The emoluments and other conditions of service of the Vice-chancellor shall be such, as may be prescribed and the same shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(5) The Vice-chancellor may, relinquish office by resignation in writing, addressed to the Board and deliver it to the Secretary of the Board atleast two months prior to the date, on which he wishes to be relieved.

(6) When a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-chancellor on account of resignation or expiry of the term of office, the Registrar shall report the fact forthwith to the Board and such vacancy shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (1).

Powers and duties of Vice-chancellor.

21. (1) The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and the Chairman of the Academic Council, and shall, in the absence of the Chancellor, preside over the convocation of the University for conferring degrees etc.

(2) The Vice-chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline at the University.

(3) The Vice-chancellor shall convene meeting of the Academic Council, unless he temporarily delegates this power to some other officer of the University.

(4) Without prejudice to the powers conferred by this Act on the State Government, the Vice-chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act, Statutes and Regulations and shall also exercise all such powers, as may be necessary in this behalf.

(5) The Vice-chancellor shall be responsible for the presentation of the budget and the statement of accounts to the Board.

(6) In any emergency, which, in the opinion of the Vice-chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action, as he deems necessary except dismissal, removal and reduction in rank of the persons appointed by the Board and shall, at the earliest possible, report about the action taken to the concerned authority for confirmation, who or which in the ordinary course, would have dealt with the matter, but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-chancellor to incur any expenditure, not duly authorized and provided for, in the budget:

Provided that no action shall be taken to his disadvantage unless such a person has been given opportunity of being heard.

(7) The person aggrieved by an action, referred to in sub-section (6), may prefer an appeal to the Board within a period of thirty days from the date, on which the action against him is communicated to him.

(8) Subject as aforesaid, the Vice-chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension or dismissal etc. of officers, teachers and other employees of the University.

(9) The Vice-chancellor shall be responsible for the co-ordination and integration of teaching, research and extension education.

(10) The Vice-chancellor shall exercise such other powers, as may be prescribed.

22. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Vice-chancellor with the approval of the Board from amongst the persons, having status not below the rank of a professor of the University or who is outstanding academician with techno-administrative experience in the field of Veterinary, animal sciences, fishery sciences or allied sciences. Registrar.

(2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University and work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-chancellor.

(3) The Registrar shall receive such remuneration and other emoluments, as may be prescribed.

Powers and duties of Registrar.

23. The Registrar shall,—

(a) be the ex-officio Secretary of the Board and Academic Council and shall place all such information before the Board and Academic Council, as may be necessary for the transaction of business of the Board and Academic Council, as the case may be;

(b) be responsible for the custody of the records and the common seal of the University;

(c) receive applications for admission into the University;

(d) make arrangement for admission of Non-Resident Indian students, Non-Resident Indian sponsored students, foreign students, industry sponsored students;

(e) keep permanent record of all syllabi, curricula and information connected therewith;

(f) make arrangement for the conduct of such examination, as may be prescribed and be responsible for the due execution of all processes connected therewith; and

(g) perform such other duties, as may be prescribed from time to time, by the Vice-chancellor.

Comptroller.

24. (1) The Comptroller shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Vice-chancellor with the approval of the Board.

(2) The Comptroller shall manage the property and investments of the University and advise with regard to its financial policy.

(3) The Comptroller shall be responsible to the Vice-chancellor for all the financial matters of the University including the preparation of its budget and statement of accounts.

(4) The Comptroller shall receive such remuneration, as may be prescribed.

(5) The Comptroller shall,—

(a) ensure that the expenditure not authorized in the budget is not incurred by the University, except by way of investment approved by the Board;

(b) disallow any expenditure, not warranted by the terms of any Statutes or for which provision is required to be made by the Statutes but has not yet been made; and

(c) ensure that all money belonging to the University, be kept in a Scheduled Bank.

25. (1) The Dean of Post Graduate Studies shall be a whole time officer and shall be appointed by Vice-chancellor with the approval of the Board. Dean of Post Graduate Studies.

(2) The Dean of Post Graduate Studies shall be responsible to Vice-chancellor for all matters concerning the Post Graduate Studies.

(3) The Dean of Post Graduate Studies shall be responsible for the organization, origination and conduct of postgraduate instruction.

(4) The Dean of Post Graduate Studies shall act as liaison officer with national and international organizations, agency or individual for education, research and employment.

26. (1) The Dean of College shall be a whole time officer and shall be appointed by the Vice-chancellor with the approval of the Board. Dean of College.

(2) The Dean shall be responsible to the Vice-chancellor for all matters concerning the College.

(3) The Dean shall be responsible for the organization, origination and conduct of the College instruction.

(4) The Dean shall act as liaison officer with national and international organizations, agency or individual for education, research and employment.

27. (1) There shall be a Director of Research in the University to be appointed by the Vice-chancellor with the approval of the Board. Director of Research.

(2) The Director of Research shall be a whole time officer trained in Veterinary, animal sciences, fishery sciences or allied sciences and shall initiate, guide and co-ordinate the research programmes of the University and its institution and shall be responsible to the Vice-chancellor.

28. (1) There shall be a Director of Extension Education who shall be a whole time officer technically trained in Veterinary, animal sciences, fishery sciences or allied sciences and shall be appointed by the Vice-chancellor with the approval of the Board. Director of Extension Education.

(2) The Director of Extension Education shall be responsible to the Vice-chancellor and shall prepare programmes for assisting farmers and housewives in applying results of scientific investigations for the solution of their problems.

29. (1) The Director of Extension Education shall be responsible for— Functions of Director of Extension Education.

(a) the Veterinary, animal sciences, fishery sciences and allied sciences which are primarily educational in nature;

(b) imparting training to the Extension Officer for the National Extension Block and Instructor for the Extension Training Centres; and

(c) such other duties, as may be prescribed.

(2) The Director of Extension Education shall perform his functions in co-ordination with the Departments of Animal Husbandry and Dairying, Fisheries, Co-operation or any other department, as the case may be.

Director of Students Welfare-cum-Estate Officer.

30. (1) The Director of the Students Welfare-cum-Estate Officer shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Vice-chancellor with the approval of the Board.

(2) The Director of the Students Welfare-cum-Estate Officer shall perform the following duties, namely:—

(a) to make arrangements for the housing of students;

(b) to make programmes of students' counselling;

(c) to arrange employment of students in accordance with the plans approved by the Vice-chancellor;

(d) to supervise the extra-curricular activities of students;

(e) to assist the placement of graduates of the University ;

(f) to organize and maintain contact with the alumni of the University; and

(g) such other duties, as may be prescribed.

(3) The Director of the Students Welfare-cum-Estate Officer shall be responsible for the custody, maintenance and management of all the buildings, lawns, gardens, playgrounds and other properties of the University.

CHAPTER-IV

COLLEGES AND INSTITUTIONS

Composition of College.

31. (1) Each College shall comprise such Departments, as may be prescribed.

(2) There shall be a Head of each Department, who shall be responsible to the concerned Deans for resident instruction; to the Director of Research for research work; and to the Director of Extension Education for extension education.

(3) The Head of the Department shall be selected by the Vice-chancellor and appointed by him with the approval of the Board, in the manner as may be prescribed.

(4) The duties, powers and functions of the Head of Department shall be such, as may be prescribed.

CHAPTER-V

SERVICES

32. The salary and allowances payable to the officers, teachers and other employees of the University shall be such, as may be determined by the Vice-chancellor with the approval of the Board. Salary and allowances.

33. The age of retirement and other conditions of service of every officer, teacher or other employee of the University shall be such, as may be prescribed. Retirement and other conditions of service.

34. The University shall constitute gratuity and provident fund for the benefit of its officers, teachers and other employees in such manner, and subject to such conditions, as may be prescribed. Provident fund.

35. Subject to the provisions of this Act, the members of the technical staff of the University shall be selected by the Head of the Department in consultation with the members of the Department concerned and further be recommended by the concerned Dean or the Director of Research or the Director of Extension Education, as the case may be, to the Vice-chancellor and shall be appointed by him with the approval of the Board. Appointment of technical staff.

36. The Vice-chancellor may appoint temporarily any officer of the University subject to the provisions of this Act until such time, the authorities of the University are duly constituted. Temporary arrangements.

CHAPTER-VI

STATUTES AND REGULATIONS

37. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for the following matters, namely:— Statutes.

(a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;

(b) the election, appointment and continuance in office of the members of the authorities of the University;

(c) the filling up of vacancies, the designation, the manner of appointment, the powers and the duties of the officers of the University;

(d) the classification, the filling up of vacancies and the manner of appointment of teachers;

(e) the constitution of gratuity or provident fund or both for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;

(f) the institution of degree, diploma, certificate and academic distinction;

(g) the conferment of honorary degrees;

(h) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of Departments of the College;

(i) the establishment and the abolition of hostels;

(j) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes;

(k) the maintenance of a register of graduates;

(l) the admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;

(m) the courses of study to be laid down for degree, diploma, certificate or academic distinction of the University;

(n) the conditions under which students shall be admitted to the degree, diploma, certificate or academic distinction and the manner in which the examinations are to be held and the eligibility for the award of degree, diploma, certificate and academic distinction;

(o) the conditions of residence of the students of the University and the levy of fees for residence in hostels maintained by the University;

(p) the recognition and supervision of hostels, not maintained by the University;

(q) the number, qualifications, emoluments and other conditions of service of officers, teachers and other employees of the University and the preparation and maintenance of record of their services and activities;

(r) the fees to be charged by the University;

(s) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to the persons employed in the business of the University;

(t) the conditions for the award of fellowships, scholarships, medals, prizes, stipends and fee concessions; and

(u) all other matters, which under this Act are to be or may be provided for by the Statutes or Regulations.

Statutes how made.

38. (1) The relevant provisions of the Statutes, made for the existing university and in force immediately before the commencement of this Act, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and subject to such adaptations and modifications, be the first Statutes of the University.

(2) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes and may amend or repeal the same.

(3) The Academic Council may propose to the Board, the draft of Statutes and such draft shall be considered by the Board at its next meeting:

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any Statutes or any amendment therein, affecting the status, powers or constitution of any authority of the University, until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal, and any opinion so expressed, shall be considered by the Board.

(4) The Board may consider any such draft, as is referred to in sub-section (3), and pass the proposed Statutes or reject or return it to the Academic Council, for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment, which it may suggest.

(5) Any member of the Board may,—

(a) propose to the Board, the draft of any Statutes and the Board may, either accept or reject the proposal, if it relates to a matter, not falling within the purview of the Academic Council;

(b) in case, such a draft relates to a matter, which is within the purview of the Academic Council, the Board shall refer it for consideration to the Academic Council, which may, either report to the Board that it approves or does not approve the proposal, which, then, shall be deemed to have been rejected by the Board or submit the draft to the Board in such form, as the Academic Council may, approve ; and

(c) the provisions of clause (b) shall apply in the case of the draft submitted by any member of the Board under clause (a) to the Board, as they apply in the case of a draft, presented to the Board by the Academic Council.

39. (1) The Regulations, made for the existing university and in force immediately before the commencement of this Act, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and subject to such adaptations and modifications, be the first relevant Regulations of the University. Regulations.

(2) The authorities of University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes for—

(a) suitable recruitment procedure both for teaching and non-teaching posts;

(b) conduct of employees and disciplinary procedure to be followed in case of misconduct and other lapses in the discharge of their duties;

(c) giving of notice to the members of each authority of the dates of meetings and also for keeping the record of the proceedings of the meetings;

(d) the procedure to be followed at the meetings;

(e) all matters concerning and provided for under this Act and the Statutes.

(3) Every Regulation made under this section, shall come into force on such date, as may be specified by the Board.

Control by State Government.

40. (1) The University shall carry out such directions as may be issued to it, from time to time, by the State Government for the efficient administration of this Act.

(2) The State Government may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the record of any case disposed of, or order passed by the University for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety or correctness of any order passed or directions issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto, as it may think fit:

Provided that the State Government shall not pass any order adversely affecting any person without affording such person an opportunity of being heard.

(3) The State Government may depute any officer to inspect or examine the University or its development work and to report thereon and the officer so deputed may, for the purposes of such inspection or examination, call for—

(a) any extract from any proceeding, record, correspondence, plan or other documents of the authority or any committee constituted under this Act;

(b) any return, estimates, statement of accounts, statistics;

(c) any report,

and the University shall furnish the same.

Protection of action taken in good faith.

41. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes and the Regulations.

Transitory powers of first Vice-chancellor.

42. (1) It shall be the duty of the first Vice-chancellor to make arrangement for constituting Board and other authorities of the University within a period of six months from the date of commencement of this Act or such longer period not exceeding one year, as the State Government may, by notification direct.

(2) The first Vice-chancellor shall, in consultation with the Chancellor, make such Regulations, as may be necessary for the functioning of the University.

(3) It shall be the duty of first Vice-chancellor to draft such Statutes, as may be immediately necessary and submit the same to the Board for approval.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act and until such time an authority is duly constituted under the Act, the first Vice-Chancellor may appoint any officer or constitute any committee temporarily to exercise and perform any of the powers and duties of such committee under this Act.

43. The officers and officials appointed under this Act, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860). Officers to be public servant.

44. The annual report of the University giving details of broad programmes, policies and finances, amendments of Statutes made during the year shall be prepared under the directions of the Vice-chancellor and be submitted to the Board on or after such date, as may be prescribed by the Statutes and the Board shall consider the report at its meeting. Annual report.

CHAPTER-VII

FINANCE, ACCOUNT AND AUDIT

45. The University shall have a general fund and the following shall be credited to it, namely:— General fund.

(a) income from fees, endowments, grants and properties of the University;

(b) contributions or grants from the State Government and the Central Government on such conditions, as may be imposed by that Government ; and

(c) other contributions, grants, donations and benefactions.

46. The University may have such other funds, as may be prescribed. Other funds.

47. The University shall constitute a Finance Committee consisting of the following members, namely:— Constitution of Finance Committee.

(a) the Vice-chancellor;

(b) the Comptroller;

(c) a member chosen by the Board from amongst its official members; and

(d) a member chosen by the Board from amongst its non-official members.

48. (1) The Finance Committee shall have the following powers and duties, namely:— Powers and duties of Finance Committee.

(a) to examine the annual accounts of the University and to advise the Board thereon;

(b) to examine the annual budget estimates and to advise the Board thereon;

(c) to review the financial position of the University from time to time;

(d) to make recommendation to the University on all matters relating to the finances of the University; and

(e) to make recommendation to the Board on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or which involves expenditure in excess of the amount provided in the budget.

(2) The accounts and the balance sheet shall be submitted by the Vice-chancellor through the Board to the State Government, which shall cause them to be audited by the Examiner, Local Fund Accounts.

(3) The accounts, when audited, shall be printed and copies thereof together with audit report, shall be submitted by the Vice-chancellor to the Board, which shall forward them to the State Government with such comments, as it may deem fit.

Power of State Government to direct audit.

49. The State Government shall have the power to order special audit of the accounts of the University by such auditor or agency, as it may direct.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

Transfer of College, institution and employees to University.

50. (1) The College of Veterinary Sciences, Hisar, College of Animal Sciences, Hisar, fishery unit in the department of Zoology, hostels attached with the aforesaid Veterinary Sciences College, all other movable and immovable assets, liabilities and obligations pertaining thereto shall stand transferred and vested in the University. The College of Animal Sciences shall be renamed as Department of Animal Sciences and Fishery Unit shall be renamed as Department of Fishery Sciences and both shall become part of the College of Veterinary Sciences in the University:

Provided that till the facilities are provided in the University, the University shall continue to share the facilities of library, hospital, playgrounds, guest houses, auditoria, clubs, public health services and accommodation for the employees or any other facility available with the existing university.

(2) The persons under the employment of the College of Veterinary Sciences, Hisar, College of Animal Sciences, Hisar, fishery unit in the Department of Zoology, hostels attached with the aforesaid Veterinary sciences College shall stand transferred to the University on the same terms and conditions of service as are applicable to them in the aforesaid college or institution, unless and until, such conditions are changed with the consent of such persons:

Provided that no person, who is employed on deputation in the said college or institution from the State Government etc., shall be transferred to the University, without the prior approval of the State Government.

(3) The employees of the Central Offices of the existing university's administration i.e. Registrar, Comptroller, Director, Students' Welfare, Estate Officer, Dean, Postgraduate Studies, Director of Research, Director of Extension Education, Librarian and University Hospital or any other centralized offices or facilities, dealing with Veterinary, animal sciences, fisheries and related activities along with budget shall stand transferred to the University.

51. (1) On the commencement of this Act, the assets and liabilities of the existing university relating to Veterinary, animal sciences and fishery sciences, shall stand transferred to, and shall vest in the University in accordance with the following principles, namely:— *Division of assets and liabilities.*

(a) any asset of existing university, which immediately before the commencement of this Act, is related to Veterinary, animal sciences, fishery sciences and disease free small animal house, including agricultural land used for fodder or feed production, dairy and poultry farms, fisheries and every right to such property, shall stand transferred to, and shall vest in the University;

(b) the land of the experimental area of the existing university, adjoining the Immunology (Tick Borne Diseases) building shall stand transferred to the University.

Explanation.— For the purposes of this section, "asset" shall be deemed to include all property movable and immovable, rights, powers, authorities and privileges, and all other rights and interests arising out of such property, as were immediately before the commencement of this Act, in the ownership, possession, power or control of existing university, and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto, shall also be deemed to include all obligations of whatever kind then subsisting, of the existing university.

52. If on the commencement of this Act, any suit, appeal or other proceeding of whatever nature, is pending by or against the existing university, the same shall not abate or be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the re-organization of the existing university, but such suit, appeal or other proceedings, may be continued, prosecuted or enforced by or against the concerned university to which the subject matter of such suit, appeal or other proceedings pertain after the re-organization. *Legal proceedings.*

Authentication of pleadings.

53. In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar, and all process in such suits and proceedings shall be issued to, and be served on him.

Construction of references to existing university in any document

54. Any reference to the existing university in any law, other than this Act, or in any contract or other instrument, shall be construed—

(a) if such reference relates to any asset or property of the existing university, as a reference to the existing university ; and

(b) in any other case, as a reference to the University.

Obligations to be discharged by existing university.

55. If the existing university prior to the establishment of this University, has conducted any examination, but the result thereof has not yet been declared, in such cases, the existing university shall declare the result and confer the degree, diploma, certificate and mark sheet, as the case may be.

Power to remove difficulties.

56. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not in consistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section, after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has decided to establish and incorporated a Veterinary University at Hisar in the State of Haryana for the purposes of affiliating, teaching and ensuring proper and systematic instruction, training, research and extension in modern systems of Veterinary, Animal Sciences, Fishery Sciences and Allied Sciences and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar Bill, 2010, among other things provides for the following :—

(a) to impart education and further advancement in learning and research in different branches of Veterinary, Animal Sciences, Fishery Sciences and Allied Sciences and to undertake extension of such specialized knowledge to the needy people;

(b) to undertake study in marketing strategies of live-stock and live-stock products, conservation of live-stock breeds and wild animals;

(c) to liaison and establish vital linkage with the concerned institutions/organizations at the State, National and International level specialized in the field of Veterinary, Animal Sciences, Fishery Sciences and Allied Sciences with a view to keep abreast of the latest technology;

(d) transfer of certain institutions/properties connected with Veterinary, Animal Sciences and Fisheries as specified in the Act and the employees thereof to the University;

(e) appointment of Vice-chancellor and other officers of the University;

(f) affiliation of colleges and recognition of institutions situated within the jurisdiction of the University.

Hence this Bill.

PARAMVIR SINGH,

Animal Husbandry Minister, Haryana.

Chandigarh : SUMIT KUMAR,

The 13th March, 2010. Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 37 of the Bill provides for making some provisions by way of regulations. To carryout the purposes of the Act in this regard, this power has been delegated to the Board to make new or additional statutes. This delegated power to the Board is of normal character and nowhere overrides the scope of normal scope of delegation of legislative power. Hence, this memorandum is annexed as required under the provisions of rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2010 का विधेयक संख्या 11-एच० एल० ए०

लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार विधेयक, 2010

पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान की आधुनिक प्रणालियों में संबद्ध, अध्यापन और उचित तथा व्यवस्थित शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य में विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं ।

(क) "शिक्षा परिषद्" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद्;

(ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के विषेशाधिकारों से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय या संस्था ;

(ग) "पशु" से अभिप्राय है, पशुधन, पालतू पशु, वन्य पशु, जीवित पशु तथा जिसमें मछली, पक्षी तथा सरीसृप सम्मिलित होंगे ;

(घ) "पशु विज्ञान" से अभिप्राय है, प्रजनन विज्ञान, पशुधन उत्पादन तथा प्रबन्धन, पशु आहार, पशुधन उत्पाद, सहबद्ध विज्ञान तथा चारा प्रौद्योगिकी ;

(ड.) "बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 10 के अधीन गठित बोर्ड ;

(च) "महाविद्यालय" से अभिप्राय है, हिसार में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय या कोई अन्य महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय द्वारा कैम्पस में स्थापित तथा अनुरक्षित हो ;

(छ) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, अध्यापक तथा अन्य अमला सहित विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ;

(ज) "वर्तमान विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ;

(झ) "विस्तार शिक्षा" से अभिप्राय है, पशु चिकित्सक, पैरा–पशुचिकित्सा अमला, पशुधन किसान, गृह निर्माता और पशु स्वास्थ्य, कल्याण, उन्नत पशुपालन व्यवसाय से सम्बन्धित अन्य समूह और पशु उत्पादन और विपणन से सम्बन्धित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षिक गतिविधियाँ तथा इसमें पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, मत्स्य पालन विभाग या कोई अन्य पदाभिहित विभाग/अभिकरण के माध्यम से पशुधन फार्म तथा फार्म गृहों के लिए नई प्रौद्योगिकी तथा नवीनता को लाने के लिए प्रदर्शन शामिल हैं ;

(ञ) "मत्स्य विज्ञान" से अभिप्राय है, जलीय जीवन सहित इसके आसपास के जीव विज्ञान, वाणिज्यिक उपयोग तथा संरक्षण कला तथा ज्ञान विज्ञान सहित आसपास के संघटक ;

(ट) "छात्रावास" से अभिप्राय है, छात्रों के लिये निवास यूनिट ;

(ठ) "संस्था" से अभिप्राय है, उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या अन्य शिक्षा संबंधी विषेश उपाधि के लिए प्रशिक्षण देने वाला कोई अस्पताल, केन्द्र या अन्य संस्था ;

(ड) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित ;

(ढ) "मान्यताप्राप्त अध्यापक" से अभिप्राय है, ऐसा व्यक्ति जो किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी संस्था में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है ;

(ण) "परिनियमों" तथा "विनियमों" से अभिप्राय है, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के परिनियम तथा विनियम ;

(त) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(थ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;

(द) "छात्र" से अभिप्राय है, उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या किसी शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए पाठ्यक्रम करने के लिए विश्वविद्यालय या इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था में दर्ज कोई व्यक्ति ;

(ध) "अध्यापक" में शामिल हैं विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा देने वाला निदेशक, डीन, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ आचार्य, आचार्य, सह–आचार्य/उपाचार्य, सहायक आचार्य/प्राध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति ;

(न) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार ;

(प) "पशुचिकित्सा" से अभिप्राय है, पशुचिकित्सा शल्य–चिकित्सा और चिकित्सा–शास्त्र में कला तथा विज्ञान और इसमें शामिल है,–

(i) पशुओं में रोग निदान, और पशुओं की क्षति ;

(ii) ऐसे निदान पर आधारित सलाह देना ;

(iii) पशुओं की चिकित्सा या शल्य उपचार ;

(iv) पशुधन बीमारियों की रोकथाम और नियन्त्रण के लिये किये गये उपाय ;

(v) जुनोजिज और जानपदिक–रोगविज्ञान।

अध्याय–II

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. (1) सम्पूर्ण राज्य में अधिकारिता रखने वाले लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना ।

(2) विश्वविद्यालय उप–धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होगा और शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मोहर होगी । उसे दोनों प्रकार की चल और अचल सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद करेगा या करवाएगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हिसार में या ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ।

(4) विश्वविद्यालय कोई भी अचल सम्पत्ति, जो इसमें निहित हो गई है, या इस द्वारा अर्जित की गई है, को राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना पट्टे पर नहीं देगा, न ही बेचेगा या अन्यथा अन्तरण नहीं करेगा।

उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करने, देने या जारी करने पर रोक।

4. (1) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय के सिवाय, कोई भी व्यक्ति या संस्था विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर इसे समनुदेशित ज्ञान के विशेष क्षेत्र में स्वयं किसी उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि को प्रदान नहीं करेगा, नहीं देगा या जारी नहीं करेगा या प्रदान करने, देने या जारी करने के लिए स्वयं को हकदार नहीं बनायेगा जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई, दी गई या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के समरूप है या मिलती–जुलती नकल की है।

(2) उप–धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन, तीन वर्ष तक कारावास से या पांच हजार रुपए तक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय अपराध होगा तथा यथाविहित रीति में भी बरता जाएगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया है, वहां अपराध करने के समय पर इसके कारबार के संचालन का प्रभारी या के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उप–धारा (2) के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने के लिए दायी होगा।

(4) उप–धारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो गया है कि अपराध सहमति या मौनानुकुलता से किया गया है, या कि अपराध कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरुप किया गया है, वहां ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी यथाविहित रीति में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने के लिए दायी होगा।

5. विश्वविद्यालय में सभी अध्यापन इस निमित्त बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तथा के नाम से संचालित किये जाएंगे। विश्वविद्यालय में अध्यापन ।

6. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :— विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

(क) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना, जो यह समय–समय पर अवधारित करे ;

(ख) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा अन्य सहबद्ध विज्ञान में शिक्षा–प्राप्ति तथा अनुसंधान में और प्रगति करने तथा जरूरतमन्द लोगों के ऐसे विशेष ज्ञान के विस्तार का उत्तरदायित्व लेने ;

(ग) पशुधन तथा पशुधन उत्पादों की विपणन नीतियों में, पशुधन नस्लों तथा वन्य पशुओं के संरक्षण के अध्ययन का उत्तरदायित्व लेने ;

(घ) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के पशुपालन, मत्स्यपालन तथा डेयरी विकास से संबंधित विभागों तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के बराबर रखने की दृष्टि से पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ संपर्क करना तथा जीव संबंधी संयोजन स्थापित करना ।

(ङ) अन्तरराष्ट्रीय मानकों के लिए पशुचिकित्सा अध्ययन के स्तर को बढ़ाना ; और

(च) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो बोर्ड समय–समय पर अवधारित करे।

7. विश्वविद्यालय निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :— विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य ।

(क) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा उसमें तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ;

(ख) विस्तार शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान तथा तकनीकी सूचना के निष्कर्षों के प्रसार के लिये सुविधाएं उपलब्ध करवाना ;

(ग) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान में उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधियां प्रारंभ करना ;

(घ) परीक्षा आयोजित करना तथा ऐसे व्यक्ति को उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, जिसने–

(i) विशिष्ट पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है ; या

(ii) यथाविहित रीति में विश्वविद्यालय में अनुसंधान किया है ;

(ङ) यथाविहित रीति में सम्मानित उपाधि या अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करना ;

(च) क्षेत्र कर्मकार, पशुधन कृषक तथा अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में दर्ज नहीं हैं, के लिए व्याख्यान तथा शिक्षा हेतु प्रबंध करना ;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संगठनों तथा प्राधिकरणों को ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जो अवधारित किए जाएं, सहयोग देना ;

(ज) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान से सम्बन्धित महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना ;

(झ) विश्वविद्यालय से किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्ध करना तथा उससे सम्बद्धता वापस लेना ;

(ञ) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, अनुसंधान केन्द्र, अनुसंधान, प्रसंस्करण संयन्त्र तथा संग्रहालयों को स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(ट) विश्वविद्यालय में आचार्य पद, सह–आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, अध्यापक पद तथा अन्य अध्यापन अनुसंधान तथा विस्तार पद संस्थित करना, निलम्बित करना या समाप्त करना तथा उनकी उपयुक्त नियुक्तियां करना ;

(ठ) प्रशासनिक तथा अन्य पदों को सृजित करना, निलम्बित करना या समाप्त करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(ड) परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन--वृत्तियां, वजीफे, प्रदर्शन, पदक तथा पुरस्कार प्रारंभ करना, समाप्त करना या निलम्बन करना तथा पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान में अनुसंधान से सम्बन्धित गुणागुण तथा अनुसंधान के कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये छात्रावास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(ण) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये रिहायशी आवास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना ;

(त) यथाविहित ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों का अवधारण करना, मांग करना तथा प्राप्त करना ;

(थ) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के आचरण का पर्यवेक्षण करना, नियन्त्रण रखना तथा अनुशासन विनियमित करना ;

(द) विश्वविद्यालय की चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रबन्धन करना तथा पर नियन्त्रण रखना ;

(ध) सरकार या किसी व्यक्ति से उपहार, चन्दा या दान नकदी या किसी रूप में प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए कायिक निधि सृजित करना :

परन्तु राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय द्वारा विदेश, ऐसे देश में विदेशी न्यास या किसी व्यष्टि या न्यास से कोई भी चन्दा स्वीकार नहीं किया जाएगा ;

(न) भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या किसी अन्य प्राधिकरण से अनुदान स्वीकार करना ;

(प) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों के लिए प्रतिभूति सहित या के बिना केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या किसी अन्य निगमित निकाय से धन उधार लेना ;

(फ) नियोजन ब्यूरो का अनुरक्षण करना ; तथा

(व) ऐसे सभी काम तथा कार्य करना, चाहे वे उपरोक्त कृत्यों से आनुषंगिक हैं या नहीं जो विश्वविद्यालय के और उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों।

सम्बद्धता । 8. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, राज्य में वर्तमान विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त तथा से सम्बद्ध पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के सभी महाविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त तथा से सम्बद्ध के रूप में समझी जाएंगी ।

(2) राज्य के भीतर अवस्थित पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के विभिन्न विभागों से संबंधित तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद स्थापित किए जाने वाले महाविद्यालय तथा संस्थाएं, ऐसी शर्तों के पूरा करने पर, जो सम्बद्धता के प्रयोजनों के लिए परिनियमों तथा विनियमों द्वारा अधिकथित हैं, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएंगी ।

अध्याय–III

विश्वविद्यालय का प्रबन्धन

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण। 9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :–

(i) बोर्ड ;

(ii) शिक्षा परिषद् ;

(iii) अध्यापन बोर्ड ; तथा

(iv) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किये जाएं।

बोर्ड । 10. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र संभव, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, विश्वविद्यालय के प्रबन्धन के लिये बोर्ड गठित करेगी।

(2) विश्वविद्यालय का बोर्ड निम्नलिखित सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्यों से मिलकर बनेगा,–

सरकारी सदस्य

(क) कुलपति ;

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव ;

(ग) राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के सचिव—

(i) पशुपालन तथा डेयरिंग ; तथा

(ii) वित्त ;

(घ) कुल—सचिव ;

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में उप महानिदेशक (पशुपालन विज्ञान) ;

गैर—सरकारी सदस्य

निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रवर्गों में से सरकारी व्यक्ति न होते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, अर्थात् :—

(i) कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में अनुसंधान या शिक्षा विस्तार या विकास या प्रशासन की पृष्ठ भूमि सहित पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या सहबद्ध विज्ञान में विख्यात वैज्ञानिक है ;

(ii) दो व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में प्रगतिशील कृषक या पशुधन प्रजनक हैं, पशुधन, मुर्गी पालन या मत्स्य में वैज्ञानिक कृषि तथा उनके सुधार में उसका अनुभव रखता है, तथा रूचि रखता है ;

(iii) एक व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में पशुचिकित्सा तथा पशुपालन विकास से सहयुक्त कोई विख्यात उद्योगपति तथा व्यवसायी है ;

(iv) कोई अनिवासी भारतीय, हरियाणा में पैतृक पृष्ठ भूमि रखता हो जो राज्य सरकार की राय में विख्यात पशु चिकित्सक है ; तथा

(v) कोई महिला जो राज्य सरकार की राय में ग्रामीण उन्नति तथा पशुपालन की पृष्ठ भूमि सहित उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता है।

(3) कुलाधिपति बोर्ड का मानद् अध्यक्ष होगा, कुलपति अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा तथा कुलसचिव बोर्ड का सदस्य—सचिव होगा ।

(4) बोर्ड के गैर—सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी ।

(5) बोर्ड का कोई गैर–सरकारी सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(6) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के गैर–सरकारी सदस्य यथा विहित दैनिक तथा यात्रा भत्तों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

बोर्ड के तकनीकी सलाहकार।

11. बोर्ड अपनी बैठकों में निम्नलिखित व्यक्तियों में से सभी या किन्हीं को तकनीकी सलाहकार के रूप में सहयुक्त कर सकता है, किंतु इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति किसी ऐसी बैठक में मत देने का हकदार नहीं होगा,–

(क) महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग ;

(ख) निदेशक, मत्स्य पालन विभाग ;

(ग) विश्वविद्यालय के डीनों या निदेशकों में से बोर्ड द्वारा आमंत्रित दो अधिकारी ;

(घ) बोर्ड द्वारा आमंत्रित कोई अन्य विशेषज्ञ जो पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, सहबद्ध विज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो ।

बोर्ड की बैठक।

12. (1) बोर्ड ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा वह आवश्यक समझे, बैठक करेगा :

परन्तु, बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार होगी।

(2) बोर्ड के चार सदस्यों से बोर्ड की बैठकों की गणपूर्ति होगी :

परन्तु यदि बोर्ड की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है, तो उसी कार्य संव्यवहार के लिए अगली बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

बोर्ड की शक्तियां तथा कर्तव्य।

13. बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ख) कुलपति द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को बनाए रखना तथा नियंत्रण करना तथा विश्वविद्यालय की ओर से कोई सामान्य निदेश जारी करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की ओर से कोई सम्पत्ति स्वीकार करना या अन्तरण करना ;

(ङ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन के लिए रखी गई निधियों की व्यवस्था करना ;

(च) विश्वविद्यालय से संबंधित धन का निवेश करना ;

(छ) यथाविहित रीति में, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ज) विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर की आकृति विनिर्दिष्ट करना ;

(झ) ऐसी समितियों की नियुक्तियां करना जो इसके उचित कृत्यों के लिए आवश्यक समझे ;

(ञ) पूंजीगत उन्नयनों के लिए धन उधार लेना तथा इसके पुनः भुगतान के लिए उपयुक्त प्रबन्ध करना ;

(ट) इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामले विनियमित तथा निर्धारित करना तथा अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों द्वारा बोर्ड को यथा प्रदत्त या अधिरोपित ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करना ।

14. (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :— शिक्षा परिषद् का गठन ।

(क) कुलपति ;

(ख) कुलसचिव ;

(ग) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन ;

(घ) महाविद्यालय का डीन ;

(ङ) निदेशक, विस्तार शिक्षा ;

(च) निदेशक, अनुसंधान ; तथा

(छ) विश्वविद्यालय के पांच वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष उनके सम्बन्धित डीन द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उप धारा (1) के खण्ड (छ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

शिक्षा परिषद् की शक्तियां।

15. (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी मामलों की प्रभारी होगी तथा इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण करेगी तथा शिक्षण, शिक्षा, परीक्षा तथा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्राप्त करने से संबंधित अन्य मामलों के स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व होगी तथा यथाविहित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

(2) सामान्यतः पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शिक्षा परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) पुस्तकालय के नियंत्रण तथा प्रबंधन सहित सभी शिक्षा संबंधी मामलों पर कुलपति को सलाह देना ;

(ख) इसकी बैठकों में ऐसे विभागाध्यक्षों को सहयोजित करना, जैसा यह आवश्यक समझे ;

(ग) आचार्यपद, सहयुक्त आचार्यपद, सहायक आचार्यपद तथा अध्यापक पद और अन्य अध्यापन पदों को संस्थित करने तथा उनके कर्त्तव्य तथा परिलब्धियों के संबंध में कुलपति को सिफारिश करना ;

(घ) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार के विभागों के गठन या पुनर्गठन के लिए स्कीमें बनाना, उपांतरित करना अथवा पुनः प्रवर्तित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के संबंध में विनियम बनाना ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में विनियम बनाना तथा ऐसी शर्तें जिन पर ऐसी परीक्षाओं में छात्र सम्मिलित किए जाएंगे ;

(छ) उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि को अग्रसर करने के लिए पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम बनाना ;

(ज) स्नातकोत्तर अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार के संबंध में सिफारिश करना ;

(झ) विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में मान्यताप्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विहित की जाने वाली अर्हताओं के संबंध में सिफारिश करना ; तथा

(ञ) यथाविहित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में रिक्ति ।

16. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण में गैर–सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथासंभव शीघ्रता से उन्हीं व्यक्तियों के प्रवर्ग में से भरी जाएंगी, जिसका स्थान रिक्त होता है तथा ऐसी आकस्मिक रिक्ति पर इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण के सदस्य पद की शेष अवधि के लिए, उस व्यक्ति के लिए, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया जाता है, ऐसे रूप में बना रहेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो भिन्न निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है चाहे वह विश्वविद्यालय का है या नहीं, उस प्राधिकरण में तब तक अपना स्थान बनाए रखेगा जब तक वह निकाय का निरंतर सदस्य बना रहता है जिसके लिए वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था तथा उसके बाद जब तक सम्यक् रूप से उसका उत्तराधिकारी नियुक्त या चयनित नहीं किया जाता है।

(3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति के विद्यमान होने या ऐसे प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या किए जाने का हकदार है, या चाहे इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई निर्णय है या नहीं है, तो उसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(i) कुलाधिपति ;

(ii) कुलपति ;

(iii) कुल–सचिव ;

(iv) लेखा–नियंत्रक ;

(v) स्नातकोत्तर अध्ययनों के डीन ;

(vi) महाविद्यालय का डीन ;

(vii) निदेशक, अनुसंधान ;

(viii) निदेशक, विस्तार शिक्षा ;

(ix) निदेशक, छात्र कल्याण–एवं–संपदा अधिकारी ;

(x) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों या विनियमों द्वारा इस प्रकार यथा घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति । 18. (1) हरियाणा राज्य का राज्यपाल उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा तथा यदि उपस्थित है, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों के अधीन प्रदत्त किए जाएं।

निरीक्षण । 19. (1) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा वह निदेश करे, इसके निर्माणों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी संस्था का निरीक्षण करवा सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में जाँच करवा सकता है।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय का नोटिस विश्वविद्यालय को देगा तथा ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच पर उपस्थिति होने तथा सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच, जैसी भी स्थिति हो, के परिणाम के संदर्भ में, बोर्ड को ऐसी मंत्रणा सहित जैसा वह उचित समझे लिख सकता है।

(4) बोर्ड उपधारा (3) के अधीन इसे संसूचित मंत्रणा पर प्रस्तावित कार्रवाई करने के बारे में कुलधिपति को सूचित करेगा।

(5) यदि बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो कुलाधिपति बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कोई स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निर्देश, जैसा वह ठीक समझे,जारी कर सकता है तथा बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

20. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रख्यात पशुचिकित्सकों में से नियुक्त किया जाएगा : कुलपति ।

परन्तु जहां बोर्ड के सदस्य कुलपति के रुप में नियुक्ति किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के चयन के संबंध में सर्वसम्मत नहीं है, वहां नियुक्ति सरकार की मंत्रणा पर कुलाधिपति द्वारा प्रख्यात पशु चिकित्सकों में से की जाएगी :

परन्तु यह और कि सचिव, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति होगा ।

(2) उपधारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, बीमारी, अनुपस्थिति या अवकाश या कोई अन्य आकस्मिकता के कारण उसके कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो कुलाधिपति बोर्ड की सिफारिश पर किसी प्रख्यात पशुचिकित्सक को कुलपति के रुप में उक्त दशा के दौरान काम निपटान के लिए नियुक्त कर सकता है ।

(3) कुलपति की पदावधि चार वर्ष की होगी तथा वह अधिकतम पैंसठ वर्ष की आयु के अध्यधीन पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) कुलपति की परिलब्धियां तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं तथा उन्हें उसकी नियुक्ति के बाद उसके अहित में बदली नहीं जाएंगी ।

(5) कुलपति बोर्ड को सम्बोधित करते हुए लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है तथा उसे बोर्ड के सचिव को ऐसी तिथि जिसको वह भारमुक्त होना चाहता है से कम से कम दो मास पूर्व भेजेगा ।

(6) जब कुलपति का पद उसके त्यागपत्र या उसकी पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्त होता है या होने की संभावना है, तो कुलसचिव बोर्ड को तथ्य की तुरंत रिपोर्ट करेगा तथा ऐसी रिक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी ।

21. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष होगा, और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां इत्यादि प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा। कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण करने तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति, जब तक वह अस्थायी रुप से विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को इस शक्ति को प्रत्यायोजित नहीं करता है, तब तक शिक्षा परिषद् की बैठक बुलाएगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों का अनुपालना निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करेगा तथा सभी ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो इस निमित्त आवश्यक हों।

(5) कुलपति बोर्ड को बजट तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) किसी आपात की दशा में, जहां कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई की जानी आवश्यक है, तो वह बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पदच्युति, हटाना तथा पदावनयन के सिवाय ऐसी सभी कार्रवाई करेगा जिसे वह आवश्यक समझे तथा वह यथासंभव शीघ्र संबंधित प्राधिकरण को की गई कार्रवाई के बारे में पुष्टि के लिए रिपोर्ट करेगा, या जिस सामान्य अनुक्रम में मामलों का निपटान करता रहा हो किंतु इस धारा की कोई भी बात जो बजट में न तो सम्यक् रूप से प्राधिकृत की गई है तथा न ही उपबंधित की गई है, उपगत किसी खर्च के लिए कुलपति को सशक्त की गई नहीं समझी जाएगी ;

परन्तु उसके अहित में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति तिथि जिसको उसके विरुद्ध कार्रवाई उसको संसूचित की गई है, से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है ।

(8) उपरोक्त के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन या पदच्युति के संबंध में बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा का समन्वय तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(10) कुलपति यथाविहित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा।

कुलसचिव ।

22. (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से जो विश्वविद्यालय में आचार्य के पद से नीचे की हैसियत का न हो या जो पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी–प्रशासनिक अनुभव सहित उत्कृष्ट परिषद्सदस्य हो, नियुक्त किया जाएगा ।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा तथा सीधा कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) कुलसचिव यथाविहित ऐसा पारिश्रमिक तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करेगा।

23. कुलसचिव,— कुलसचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य ।

(क) बोर्ड तथा शिक्षा परिषद् का पदेन–सचिव होगा और बोर्ड तथा शिक्षा परिषद् के समक्ष ऐसी सभी जानकारी रखेगा जो बोर्ड तथा शिक्षा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक हो ;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मोहर की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन–पत्र प्राप्त करेगा ;

(घ) अनिवासी भारतीय छात्रों, अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित छात्रों, विदेशी छात्रों तथा उद्योगों द्वारा प्रायोजित छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था करेगा ;

(ङ.) सभी पाठ्यक्रम, पाठ्यचार्य और इससे संबंधित जानकारी का स्थाई अभिलेख रखेगा ;

(च) ऐसी परीक्षा जो विहित की जाए, के संचालन के लिये व्यवस्था करेगा और उससे सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा ; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कुलपति द्वारा समय–समय पर विहित किए जाएं।

24. (1) नियन्त्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। नियन्त्रक ।

(2) नियन्त्रक विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निवेशों का प्रबन्ध करेगा और इसकी वित्तीय नीति के बारे में सलाह देगा।

(3) नियन्त्रक बजट तथा लेखा विवरण की तैयारी सहित विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामलों के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) नियंत्रक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो विहित किया जाए।

(5) नियंत्रक,–

(क) सुनिश्चित करेगा कि खर्च जो बजट में प्राधिकृत नही किया है, बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश के सिवाय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया गया है ;

(ख) कोई खर्च जो किसी परिनियम के निबंधनों में प्राधिकृत न किया गया हो या जिसके लिए परिनियमों द्वारा उपबंध किये जाने की आवश्यकता हो किन्तु अभी तक न किया गया हो, को अस्वीकृत करेगा ; तथा

(ग) सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी धन, किसी अनुसूचित बैंक में रखेगा।

स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन ।

25. (1) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित सभी मामलों के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था, प्रवर्तन तथा संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, शिक्षा, अनुसंधान तथा नियोजन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, अभिकरण या व्यष्टि के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

महाविद्यालय का डीन ।

26. (1) महाविद्यालय का डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) डीन, महाविद्यालय सम्बन्धी सभी मामलों के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) डीन, महाविद्यालय, शिक्षण की व्यवस्था, प्रवर्तन तथा संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) डीन, शिक्षा, अनुसंधान तथा नियोजन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, अभिकरण या व्यष्टि के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

निदेशक, अनुसंधान ।

27. (1) विश्वविद्यालय में निदेशक, अनुसंधान होगा जो बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, अनुसंधान, पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या सहबद्ध विज्ञान में प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय तथा इसके संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों का आरम्भ, मार्गदर्शन तथा समन्वय करेगा तथा कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

28. (1) निदेशक, विस्तार शिक्षा होगा जो, पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान या सहबद्ध विज्ञान में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निदेशक, विस्तार शिक्षा।

(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा तथा किसानों तथा गृहणियों की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण के परिणामों को लागू करने में उनको सहायता देने के लिए कार्यक्रमों को तैयार करेगा।

29. (1) निदेशक, विस्तार शिक्षा निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा— निदेशक, विस्तार शिक्षा के कृत्य।

(क) पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान जो प्राथमिक रूप से शैक्षिक प्रकृति के हैं ;

(ख) राष्ट्रीय विस्तार खण्ड के लिए विस्तार अधिकारी तथा विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए अनुदेशक को प्रशिक्षण देने; तथा

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विहित किए जाएं ।

(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा पशुपालन तथा डेयरिंग, मत्स्य तथा सहकारिता विभागों तथा किसी अन्य विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के साथ समन्वयन करने में अपने कृत्यों का पालन करेगा ।

30. (1) निदेशक, छात्र कल्याण–एवं–सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा कुलपति द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा । निदेशक, छात्र कल्याण–एवं–सम्पदा अधिकारी।

(2) निदेशक छात्र कल्याण–एवं–संपदा अधिकारी निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) छात्रों के आवास की व्यवस्था करने ;

(ख) छात्रों की काउंसिलिंग के कार्यक्रमों को बनाने ;

(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के रोजगार की व्यवस्था करने ;

(घ) छात्रों की पाठ्यक्रम बाह्य गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों की नियोजन में सहायता करने;

(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा बनाये रखने ; तथा

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विहित किए जाएं ।

(3) निदेशक छात्र कल्याण एवं संपदा अधिकारी विश्वविद्यालय के सभी भवनों, मैदानों, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा अन्य संपत्तियों को अपनी अभिरक्षा, रख–रखाव तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा ।

अध्याय IV

महाविद्यालय तथा संस्थाएं

महाविद्यालय की संरचना।

31. (1) प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(2) प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होगा, जो रेजिडैन्ट शिक्षण के लिए सम्बद्ध डीन, अनुसंधान कार्य के लिए निदेशक अनुसंधान ; तथा विस्तार शिक्षा के लिए निदेशक विस्तार शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) विभाग के अध्यक्ष का चयन कुलपति द्वारा किया जाएगा तथा उस द्वारा यथाविहित रीति में, बोर्ड के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

(4) विभाग के अध्यक्ष के कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

अध्याय V

सेवाएं

वेतन तथा भत्ते ।

32. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जो बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा अवधारित किए जाएं।

सेवानिवृत्ति तथा सेवा की अन्य शर्तें।

33. विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारीं, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

भविष्यनिधि ।

34. विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए उपदान तथा भविष्यनिधि का गठन ऐसी रीति में, तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकता है, जो विहित की जाएं।

35. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के तकनीकी अमले के सदस्य संबंधित विभाग के सदस्यों के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा चयनित किए जाएंगे तथा आगे संबंधित डीन या निदेशक, अनुसंधान या निदेशक, विस्तार शिक्षा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा कुलपति को, सिफारिश की जाएगी तथा बोर्ड के अनुमोदन से उस द्वारा नियुक्त किये जाएंगे । तकनीकी अमले की नियुक्ति।

36. कुलपति ऐसे समय के लिए जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का विधिवत् गठन नहीं होता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की अस्थायी तौर पर नियुक्ति कर सकता है । अस्थाई व्यवस्था ।

अध्याय–VI

परिनियम और विनियम

37. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित मामलों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :– परिनियम।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन, शक्तियों तथा कर्तव्यों ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का पद पर चयन, नियुक्तियाँ तथा बने रहने ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की रिक्तियों को भरने, पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियों तथा कर्त्तव्यों ;

(घ) अध्यापकों के वर्गीकरण, रिक्तियों को भरने तथा नियुक्ति की रीति ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए उपदान या भविष्य–निधि या दोनों का गठन करने ;

(च) उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि संस्थित करने ;

(छ) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने ;

(ज) महाविद्यालय के विभागों की स्थापना, समामेलन, उप–विभाजन तथा समाप्ति ;

(झ) छात्रावासों की स्थापना तथा समाप्ति ;

(ञ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कारों को संस्थित करने ;

(ट) स्नातकों का रजिस्टर रखने ;

(ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों का दाखला तथा उनका नामांकन तथा ऐसे रूप मे जारी रखने ;

(ड) विश्वविद्यालय के उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ढ) शर्तें जिनके अधीन छात्र ने उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए दाखिला लिया है तथा रीति जिसमें परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं तथा उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करने के लिए पात्रता ;

(ण) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण करने ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा न बनाए गए छात्रावासों को मान्यता देना तथा पर्यवेक्षण करने ;

(थ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या, योग्यताओं, परिलाभों तथा अन्य सेवा शर्तें तथा उनकी सेवा तथा गतिविधियों का अभिलेख तैयार करने तथा रख–रखाव करने ;

(द) विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(ध) विश्वविद्यालय के कार्य में नियोजित व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्तों सहित पारिश्रमिक तथा भत्ते ;

(न) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक, पुरस्कार, वजीफे तथा फीस में रियायत देने के लिए शर्तें ; तथा

(प) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों या विनियमों द्वारा उपबंधित हैं या किए जा सकते हैं ।

38. (1) वर्तमान विश्वविद्यालय तथा इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व बनाए गए परिनियमों के सुसंगत उपबंध जहां तक ये इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है तथा ऐसे अनुकूलन तथा रुपांतरण से असंगत नहीं है विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम होंगे । परिनियम कैसे बनाए जाएंगे।

(2) बोर्ड समय-समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है, और इनका संशोधन या निरसन कर सकता है ।

(3) शिक्षा परिषद्, बोर्ड को परिनियमों का प्रारुप प्रस्तुत कर सकती है तथा ऐसा प्रारूप बोर्ड द्वारा इसकी अगली बैठक में विचारा जायेगा :

परन्तु शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम या उसमें संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो तथा इस प्रकार व्यक्त राय पर बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा ।

(4) बोर्ड किसी ऐसे प्रारुप पर विचार कर सकता है जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, तथा प्रस्तावित परिनियमों को पारित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या इसे शिक्षा परिषद् को पूर्णतया या भागतः किसी संशोधन जो यह सुझाव करे सहित पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है ।

(5) बोर्ड का कोई भी सदस्य,–

(क) बोर्ड को किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है और बोर्ड या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, या अस्वीकार कर सकता है, यदि यह ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जो शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र में नहीं आता ;

(ख) यदि, ऐसा प्रारुप किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जो शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र में आता है, तो बोर्ड इसे शिक्षा परिषद् को विचार हेतु भेज सकता है, जो या तो बोर्ड को रिपोर्ट देगी कि प्रस्ताव उस द्वारा अनुमोदित है या नहीं है जो तब यह बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा या ऐसे रूप में बोर्ड को प्रारुप प्रस्तुत किया जायेगा जैसा शिक्षा परिषद् अनुमोदन करे ; तथा

(ग) खण्ड (ख) के उपबंध बोर्ड को खण्ड (क) के अधीन बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारुप की दशा में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे शिक्षा परिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में लागू हों ।

विनियम।

39. (1) वर्तमान विश्वविद्यालय के लिए बनाए गए तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरंत पूर्व लागू विनियम जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं तथा ऐसे अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अध्यधीन हैं विश्वविद्यालय के प्रथम सुसंगत विनियम होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकते हैं—

(क) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर दोनों पदों के लिए उचित भर्ती प्रक्रिया ;

(ख) कर्मचारियों का आचरण तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार तथा अन्य चूक के मामलों में अपनाई जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया ;

(ग) बैठकों की तिथियों तथा बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए भी प्रत्येक प्राधिकरण के सदस्यों को नोटिस देने ;

(घ) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;

(ड.) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन संबंधित तथा उपबंधित किये गये सभी मामले ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, ऐसी तिथि, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, को लागू होगा।

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण।

40. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, ऐसे निर्देश जो इसे जारी किए जाएं, का पालन करेगा।

(2) राज्य सरकार, किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किये गये आवेदन पर, पारित किये गये किसी आदेश या जारी किये गये निर्देशों की वैधता या उपयुक्तता या सहीपन के बारे में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निपटाए गए किसी मामले या पारित किए गये किसी आदेश के अभिलेख मांग सकती है तथा उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकती है या ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या इसके विकास संक्रमों के निरीक्षण या परीक्षण के लिए तथा उस पर रिपोर्ट करने के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकती है तथा इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी ऐसे निरीक्षण या प्रयोजनों के लिए–

(क) इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण या किसी समिति की किन्हीं कार्यवाहियों, अभिलेख, पत्र–व्यवहार, योजना या अन्य दस्तावेजों से कोई उद्धरण ;

(ख) किसी विवरणी, अनुमानों, लेखा या सांख्यिकी विवरण ;

(ग) किसी रिपोर्ट,

की मांग कर सकता है तथा विश्वविद्यालय उसे प्रस्तुत करेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

41. कोई भी ऐसी बात जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, के बारे में किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

प्रथम कुलपति की अस्थाई शक्तियां।

42. (1) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से छह मास की अवधि या एक वर्ष से अनधिक ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश करे विश्वविद्यालय बोर्ड तथा अन्य प्राधिकरणों को गठित करने के लिए व्यवस्था करे।

(2) प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श, ऐसे विनियम बना सकता है जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक हों।

(3) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परिनियमों के प्रारुप जो तुरंत आवश्यक हों बनाएगा तथा उन्हें अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करे।

(4) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी तथा ऐसे समय तक इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकरण सम्यक् रुप से गठित नहीं किया जाता है, तो प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन ऐसी समिति की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए अस्थाई रुप से किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है या किसी समिति का गठन कर सकता है।

अधिकारों का लोक सेवक होना।

43. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रुप में समझे जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट। 44. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष के दौरान बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों के संशोधन का विस्तृत विवरण देते हुए कुलपति के निदेशाधीन तैयार की जाएगी तथा बोर्ड को ऐसी तिथि को या इसके बाद जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए प्रस्तुत की जाएगी तथा बोर्ड रिपोर्ट पर अपनी बैठक में विचार करेगा।

अध्याय–VII

वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा

सामान्य निधि। 45. विश्वविद्यालय की सामान्य निधि होगी तथा इसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) फीस, विन्यास, अनुदान तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों से आय ;

(ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्तों पर जो उस सरकार द्वारा अधिरोपित की जाए से प्राप्त अंशदान तथा अनुदान; तथा

(ग) अन्य अंशदान, अनुदान, चंदा तथा दान ।

अन्य निधि। 46. विश्वविद्यालय ऐसी अन्य निधियां, जो विहित की जाएं, रखेगा ।

वित्त समिति का गठन। 47. विश्वविद्यालय निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए वित्त समिति का गठन करेगा, अर्थात् :–

(क) कुलपति ;

(ख) लेखा परीक्षक ;

(ग) बोर्ड द्वारा अपने सरकारी सदस्यों में से चुना गया सदस्य ; तथा

(घ) बोर्ड द्वारा अपने गैर–सरकारी सदस्यों में से चुना गया सदस्य।

वित्त समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य। 48. (1) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों का परीक्षण करना तथा उन पर बोर्ड को सलाह देना ;

(ख) वार्षिक बजट अनुमानों का परीक्षण करना तथा उन पर बोर्ड को सलाह देना ;

(ग) विश्वविद्यालय की समय–समय पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना ;

(घ) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की वित्त से संबंधित सभी मामलों पर सिफारिश करना ; तथा

(ङ.) बोर्ड को सभी अन्तर्वलित खर्च प्रस्तावों जिनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है या जिनके लिए बजट में उपबंधित राशि से अधिक खर्च अन्तर्वलित है पर सिफारिश करना।

(2) राज्य सरकार को लेखे तथा तुलन–पत्र बोर्ड के माध्यम से कुलपति द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उनकी लेखा परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करवाएगी।

(3) लेखों की जब–जब परीक्षा की जाए मुद्रित किए जाएंगे तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ–साथ उनकी प्रतियां बोर्ड को कुलपति द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी जो राज्य सरकार को उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो वह उपयुक्त समझे, भेजेगा।

राज्य सरकार की सीधी लेखा परीक्षा करने की शक्ति।

49. राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के लेखों की ऐसे लेखा परीक्षक या अभिकरण, जिसे वह निदेश करे द्वारा विशेष लेखा–परीक्षा करने के आदेश करने की शक्ति होगी।

अध्याय VIII

विविध

विश्वविद्यालय को महाविद्यालय, संस्था तथा कर्मचारियों का अंतरण।

50. (1) पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, पशु विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, जंतु विज्ञान विभाग में मत्स्य यूनिट, उपरोक्त पशुचिकित्सा विज्ञान, महाविद्यालय से संलग्न छात्रावास, उससे संबंधित सभी अन्य चल तथा अचल आस्तियां, दायित्व तथा बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगी तथा में निहित हो जाएंगी। पशु विज्ञान महाविद्यालय को पशु विज्ञान विभाग के रूप में पुनः नामित किया जाएगा तथा मत्स्य यूनिट को मत्स्य विज्ञान विभाग के रूप में पुनः नामित किया जाएगा तथा दोनों विश्वविद्यालय में पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के भाग बन जाएंगे :

परन्तु जब तक विश्वविद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, अस्पताल, खेल मैदान, अतिथि गृह, सभा भवन, क्लब, जन स्वास्थ्य सेवा तथा कर्मचारियों के लिए आवास या वर्तमान विश्वविद्यालय में उपलब्ध कोई अन्य सुविधा की सुविधाओं का समान अधिकार जारी रखेगा ।

(2) पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, पशु विज्ञान महाविद्यालय, हिसार, जंतु विज्ञान विभाग में मत्स्य यूनिट, उपरोक्त पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न छात्रावास के नियोजन के अधीन व्यक्ति विश्वविद्यालय को उन्हीं निबंधनों तथा सेवा की शर्तों पर जो उपरोक्त महाविद्यालय या संस्था में उन्हें लागू हैं स्थानान्तरित हो जाएंगे जब तक ऐसी शर्तें ऐसे व्यक्तियों की सहमति से परिवर्तित नहीं की जाती हैं :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जो राज्य सरकार इत्यादि से उक्त महाविद्यालय या संस्था में प्रतिनियुक्ति पर नियोजित किया गया है राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) वर्तमान विश्वविद्यालय के प्रशासन के केन्द्रीय कार्यालयों अर्थात् कुल–सचिव, लेखा परीक्षक, निदेशक, छात्र कल्याण, सम्पदा अधिकारी, डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन, निदेशक अनुसंधान, निदेशक विस्तार शिक्षा, पुस्ताकाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय अस्पताल या कोई अन्य केन्द्रीयकृत कार्यालय के कर्मचारी या पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य पालन से सम्बन्ध रखने वाली सुविधाएं तथा बजट के साथ–साथ सम्बन्धित गतिविधियां विश्वविद्यालयों को स्थानान्तरित हो जाएंगी।

आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन।

51. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, वर्तमान विश्वविद्यालय की पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य विज्ञान से सम्बन्धित आस्तियां तथा दायित्व निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएंगे तथा में निहित हो जाएंगे, अर्थात् :–

(क) वर्तमान विश्वविद्यालय की कोई आस्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व पशु चारा या आहार उत्पादन के लिए प्रयुक्त कृषि भूमि, डेयरी तथा कुक्कट पालन, मत्स्य पालन सहित पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा रोग मुक्त लघु पशु गृह से सम्बन्धित है तथा ऐसी सम्पत्ति का प्रत्येक अधिकार विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएगा तथा में निहित हो जाएगा ;

(ख) वर्तमान विश्वविद्यालय के इमुनॅालोजी (टिक बोर्न डिजिज) के निर्माण से लगे हुए प्रयोगात्मक क्षेत्र की भूमि विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएगी ।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आस्ति" सभी चल तथा अचल सम्पत्ति, अधिकार, शक्ति, प्राधिकार तथा विशेषाधिकार तथा सभी अन्य अधिकार तथा ऐसी सम्पत्ति से आने वाले ब्याज जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व वर्तमान विश्वविद्यालय के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियन्त्रण में थे, में शामिल की गई समझी जाएंगी तथा उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें, रजिस्टर, अभिलेख तथा किसी भी स्वरूप के सभी अन्य दस्तावेज भी वर्तमान विश्वविद्यालय के अस्तित्वशील पर किसी भी स्वरूप की सभी बाध्यताएं शामिल की गई समझी जाएंगी ।

52. यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा या के विरूद्ध कोई वाद, अपील या किसी भी स्वरूप की अन्य कार्यवाही लम्बित है, तो वह वर्तमान विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के कारण समाप्त नहीं होगी या बंद नहीं की जाएगी या किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, किन्तु ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां सम्बद्ध विश्वविद्यालय जिससे पुनर्गठन के बाद ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही की विषय वस्तु से संबंधित है, द्वारा जारी रखी जाएंगी, अभियोजित की जाएंगी या प्रवर्तित की जाएंगी या के विरूद्ध जारी रहेंगी, अभियोजित रहेंगी या प्रवर्तित रहेंगी । विधिक कार्यवाहियां।

53. विश्वविद्यालय द्वारा या के विरूद्ध सभी वादों या अन्य विधिक कार्यवाहियों में, अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएंगी तथा सत्यापित की जाएंगी तथा ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में सभी प्रक्रिया जारी की जाएंगी तथा उसको तामील की जाएंगी। अभिवचनों का अधिप्रमाणीकरण।

54. इस अधिनियम से भिन्न वर्तमान विश्वविद्यालय की किसी विधि में किसी संदर्भ या किसी संविदा या अन्य लिखत का अर्थ लगाया जाएगा– वर्तमान विश्वविद्यालय के किसी दस्तावेज में संदर्भों का अर्थान्वयन।

(क) यदि ऐसा संदर्भ वर्तमान विश्वविद्यालय की किसी आस्ति या सम्पत्ति से संबंधित है, तो वर्तमान विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में ; तथा

(ख) किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय के संदर्भ के रूप में।

वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा निर्वहन की जाने वाली बाध्यताएं।

55. यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व वर्तमान विश्वविद्यालय ने कोई परीक्षा आयोजित की है, किन्तु उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों में वर्तमान विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करेगा तथा उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा मार्क–शीट, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान करेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

56. इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्य रूप देने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाईयां दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि के बाद नहीं किया जाएगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य में पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य पालन एवं सह सम्बद्ध विज्ञानों बारे योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण, अनुसन्धान एवं आधुनिक पशु चिकित्सा विधियों को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से हिसार में पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार विधेयक, 2010 अन्य मामलों के साथ-साथ निम्नलिखित भी उपलब्ध कराता है :—

(क) पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान तथा इनसे सम्बद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं बारे शिक्षा विज्ञान प्रदान करना तथा शोध करना ताकि जरुरदमंद लोगों को विशेषत: इनका ज्ञान दिया जा सके।

(ख) पशुधन तथा पशुधन उत्पादों की खरीद फरोख्त बारे अध्ययन करना, पशुधन नस्ल तथा वन्य प्राणियों के संरक्षण बारे ज्ञान प्रदान करना।

(ग) राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य पालन तथा इनसे सम्बद्ध क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त संस्थाओं/संगठनों के साथ सम्पर्क करना तथा तालमेल रखना तथा नवीनतम तकनीक की जानकारी रहे।

(घ) अधिनियम में वर्णित पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान तथा मत्स्य पालन से सम्बन्धित विशेष संस्थाओं, उनकी सम्पत्ति तथा उनमें कार्यरत अमले का विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करना।

(ङ) विश्वविद्यालय के उप कुलपति तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।

(च) विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों को सम्बद्धता एवं मान्यता प्रदान करना।

अत:, यह विधेयक प्रस्तुत है।

परमवीर सिंह,
पशुपालन मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
13 मार्च, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 37 विनियमों द्वारा कुछ उपबंध बनाने के लिए प्रावधान करता है। इस संबंध में अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, यह शक्ति बोर्ड को नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित की गई है। बोर्ड को शक्ति का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है तथा इससे विधान की शक्ति के प्रत्यायोजन के सामान्य क्षेत्र का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता। अतः, यह ज्ञापन हरियामा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के उपबंधों की अपेक्षा अनुसार अनुबन्धित है।

47015—H.V.S.—H.G.P., Chd.